दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि: 24 सितंबर, 2013
निर्णीत तिथि: 18 फरवरी, 2014

आप.अ. 464/2004

हरि सिंह यादव ..... अपीलार्थी

के द्वारा: श्री पवन कुमार, अधिवक्ता सह श्री नितिन कुमार, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य ..... प्रत्यर्थी

के द्वारा: सीबीआई के स्थायी काउंसेल श्री पी.के.शर्मा सह श्री ए.के.सिंह और श्री बकुल जैन, अधिवक्तागण।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी.गर्ग

न्या. एस.पी.गर्ग

1. हरि सिंह यादव (अपीलार्थी) ने आरसी सं. 38 (क)/98, सीसी सं. 125/2001 में दिल्ली के विद्वान विशेष न्यायाधीश के दिनांक 17.05.2004 के निर्णय को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उन्हें पीसी अधिनियम की धारा 7 और 13 (2) के साथ धारा 13 (1) (घ) के तहत दोषी ठहराया गया था। दिनांक 18.05.2004 के आदेश द्वारा, उन्हें पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत

5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ दो साल के कठोर कारावास और धारा 13 (2) के साथ धारा 13 (1) (घ) के तहत 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। मूल वाक्य समवर्ती रूप से संचालित होने थे।

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 13.07.1998 को, गुरचरण सिंह ने सीबीआई के साथ एक लिखित शिकायत दर्ज की, जिसमें हरि सिंह यादव, उप निरीक्षक, पुलिस थाना महरौली द्वारा उनकी बहन हरबंस कौर से उन्हें और उनके पति को झूठे मामले में न फंसाने के लिए 5,000/- रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया। यह आगे आरोप लगाया गया कि रिश्वत का भुगतान करने में विफल रहने के कारण, हरबंस कौर और उनके पति को दं.प्र.सं. की धारा 107/150 के तहत एक मामले में फंसा दिया गया, जिसके लिए दिनांक 14.07.1998 को उप.जि.अधि. के सामने पेश होने का नोटिस दिया गया था। जब परिवादी और उसकी बहन ने दिनांक 13.07.1998 को अभियुक्त से उसके कार्यालय में संपर्क किया, तो उसने 5,000/- रुपये की मांग दोहराई, जिसे अनुरोध पर घटाकर 15,00/- रुपये कर दिया गया, जिसका भुगतान शाम को किया जाना था। अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि जांच का काम निरीक्षक ए.के. सिंह को सौंपा गया था, जिन्होंने एक ट्रैप टीम का गठन किया और दो स्वतंत्र गवाहों बजरंग बली और देवेंद्र की व्यवस्था की। परिवादी को दोनों स्वतंत्र गवाहों के साथ-साथ ट्रैप टीम के सदस्यों से भी

मिलवाया गया। परिवादी ने 15 जी.सी. नोटों के रूप में 1,500/- रुपये की राशि पेश की, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 100/- रुपये था। ज्ञापन सौंपने में जीसी नोटों की सं. नोट करने के बाद, नोटों को फिनोलफथेलिन पाउडर से उपचारित किया गया और सभी ट्रैप सदस्यों को एक व्यावहारिक प्रदर्शन दिया गया। पाउडर से उपचारित नोटों को परिवादी की शर्ट की बाईं जेब में इस निर्देश के साथ रखा गया कि वह रिश्वत की उसकी विशिष्ट मांग पर ही उसे सौंपे, अन्यथा नहीं। देवेंद्र को छाया साक्षी के रूप में कार्य करने और रिश्वत के पैसे के लेन-देन को देखने और परिवादी और अभियुक्त के बीच बातचीत को सुनने के लिए यथासंभव निकट रहने का निर्देश दिया गया। लेनदेन समाप्त होने के बाद उसे दोनों हाथों से अपना सिर खुजलाकर संकेत देने का निर्देश दिया गया। ट्रैप से पहले की कार्यवाही पूरी करने और रिकॉर्ड करने के बाद, ट्रैप टीम शाम 04.10 बजे सीबीआई कार्यालय से निकली और लगभग 05.15 बजे पुलिस स्टेशन महतरौली पहुँची। अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि परिवादी और छाया साक्षी देवेंद्र को पुलिस स्टेशन के अंदर जाने का निर्देश दिया गया। अन्य टीम के सदस्यों को पास के क्षेत्र में उपयुक्त स्थान लेने का निर्देश दिया गया। ट्रैप बिछाने वाले अधिकारी (टी.एल.ओ.) और स्वतंत्र साक्षी बजरंग बली ने उपयुक्त स्थान लिया। परिवादी और देवेन्द्र ने थाने के अन्दर अभियुक्त से मुलाकात की और औपचारिक बातचीत की। इसके बाद अभियुक्त ने परिवादी और छाया साक्षी के अनुरोध पर उन्हें थाने का पता बताया। वे सभी थाने से बाहर निकले और थाने के सामने स्थित वर्मा बेकरी में चले गए। थाने से बाहर

निकलते समय अभियुक्त ने परिवादी से रिश्वत की मांग के संबंध में बातचीत की। यह भी आरोप लगाया गया कि उन सभी ने बेकरी की दुकान पर कोल्ड ड्रिंक ली। दुकान से बाहर निकलते समय अभियुक्त ने अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों की सहायता से दाहिनी ओर की जेब का मुंह खोलकर परिवादी से रिश्वत की राशि मांगी तथा उसे जेब में डालने को कहा तथा परिवादी ने वैसा ही किया। जैसे ही लेन-देन समाप्त हुआ, छाया साक्षी ने पूर्व-निर्धारित संकेत दिया तथा उसे प्राप्त करते ही ट्रैप टीम अभियुक्त की ओर दौड़ी तथा दुकान की सीढ़ियों पर उसे धर दबोचा। जब उससे पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने परिवादी से 1500/- रुपए की रिश्वत की राशि मांगना तथा स्वीकार करना स्वीकार किया। बजरंगबली ने अभियुक्त की दाहिनी ओर की पैंट की जेब से 1500/- रुपए की राशि बरामद की। तत्पश्चात, हाथ धोने, जेब धोने आदि की कार्यवाही की गई तथा छापेमारी उपरांत कार्यवाही पूर्ण की गई। जांच के दौरान तथ्यों से परिचित गवाहों के कथन दर्ज किए गए। जांच पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया। उस पर विधिवत आरोप लगाया गया और उसे वाद में लाया गया। अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों की जांच की। 313 बयान में, अभियुक्त ने झूठे आरोप लगाने की दलील दी और आठ बचाव गवाहों की जांच की। पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और पूर्ण साक्ष्य की सराहना करने के बाद, विचारण न्यायालय ने, आरोपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थी को पहले उल्लेखित अपराध का अपराधी माना। व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, अपीलार्थी ने अपील को प्राथमिकता दी है।

3. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और फाइल की जांच की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को उसके सही और उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा और स्वतंत्र पुष्टि के बिना इच्छुक गवाहों की गवाही पर भरोसा करके गंभीर गलती की। अभि.सा.-बजरंग बली और अभि.सा.-देवेंद्र ने भौतिक पहलुओं पर अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया और अपने पिछले बयानों से मुकर गए। अपीलार्थी ने कभी भी परिवादी या उसकी बहन से कोई रिश्वत नहीं मांगी और उसने कभी भी स्वेच्छा से रिश्वत स्वीकार नहीं की। जांच अत्यधिक दोषपूर्ण और दागी है और परिवादी और उसकी बहन के पिछले रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए कोई उचित सत्यापन नहीं किया गया, जो कई आपराधिक मामलों में शामिल थे। भ्रष्ट धन की बरामदगी संदिग्ध है। जांच के किसी भी चरण में कोई स्वतंत्र सरकारी साक्षी शामिल नहीं था। सीबीआई के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्णय का समर्थन करते हुए आग्रह किया कि परिवादी के पास सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराने का कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था। 1,500/- की एक विशिष्ट मांग थी जिसे अपीलार्थी ने अदा किया और स्वीकार किया तथा उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। साक्ष्य और किए गए परीक्षण यह दिखाने के लिए काफी हद तक सही हैं कि अपीलार्थी-अभियुक्त के कब्जे से दूषित राशि बरामद की गई थी। वसूली वाला हिस्सा पूरी तरह से चुनौती रहित रहा है। पीसी अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान लगाया गया है और अपीलार्थी इसे हटाने में विफल रहा है।

गवाहों के बयानों में मामूली विसंगतियां अभियोजन पक्ष के मामले के मूल यानी पैसे की मांग और स्वीकृति को प्रभावित नहीं करती हैं।

4. स्वीकृत स्थिति यह है कि दिनांक 13.07.1998 को हरि सिंह यादव पुलिस स्टेशन, महरौली में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने दं.प्र.सं. की धारा 107/150 के तहत कलंदरा स्थापित की थी। परिवादी की बहन और उसके पति के खिलाफ, जिसके लिए उसे दिनांक 14.07.1998 को संबंधित उप.जि.अधि. के समक्ष उपस्थित होने के लिए दिनांक 12.07.1998 को नोटिस मिला था। यह भी विवाद में नहीं है कि उप.नि. हरि सिंह यादव दिनांक 22.06.1998 को करमवीर उर्फ कालू और अन्य के खिलाफ दिनेश सदा को चोट पहुंचाने के लिए दर्ज की गई प्राथमिकी सं. 345/98 भा.दं.सं. की धारा 324/34 के मामले में जांच अधिकारी थे। अभियोजन पक्ष ने प्रासंगिक गवाहों से यह साबित करने के लिए पूछताछ की कि दिनांक 13.07.1998 को अभि.सा.-2 (गुरचरण सिंह) ने अपीलार्थी के खिलाफ उसकी बहन हरबंस कौर से 5,000/- रुपये की रिश्वत मांगने की शिकायत (प्र.अभि.सा.-2/क) दर्ज कराई थी, जिसे घटाकर 1,500/- रुपये कर दिया गया था। यह भी विवाद में नहीं है कि मामला दर्ज होने के बाद, सीबीआई ने अपीलार्थी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक ट्रैप टीम का गठन किया। ट्रैप से पहले की कार्यवाही (प्र.अभि.सा.-2/ग) परिवादी, पंच और छाया साक्षीोंं द्वारा संदेह से परे साबित हुई है।

5. अभि.सा.-5 (बजरंग बली) जो पंच साक्षी के रूप में जाल में शामिल हुए थे, ने बयान दिया कि निर्देशानुसार शाम करीब 05.00 या 05.15 बजे परिवादी और देवेंद्र अभियुक्त से संपर्क करने के लिए महरौली पुलिस स्टेशन गए। लगभग 10/15 मिनट बाद वे अभियुक्त के साथ थाने से बाहर आए और थाने के बाहर एक कैंटीन की ओर बढ़े। 8 या 10 मिनट बाद उन्हें बताया गया कि अभियुक्त को पहले ही फंसाया जा चुका है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि अभियुक्त को कैसे और किस तरह से फंसाया गया। चूंकि अभि.सा.-5 (बजरंग बली) ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया, इसलिए सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय की अनुमति लेने के बाद उनसे प्रतिपरीक्षा की। बयान (पूर्व अभि.सा.-5/भ) के सामने पेश किए जाने पर बजरंग बली ने सीबीआई को ऐसा कोई बयान देने से इनकार किया। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि परिवादी गुरचरण सिंह ने दुकान से बाहर आने के बाद अभियुक्त की पैंट की दाहिनी जेब में पैसे रखे या अभि.सा.-देवेंद्र ने दोनों हाथों से अपना सिर खुजाकर पहले से तय संकेत दिया। उन्होंने अभियुक्त हरि सिंह यादव की पैंट से 1,500/- की बरामदगी की बात स्वीकार की। प्रतिपरीक्षा में उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें और देवेंद्र को सीबीआई के निरीक्षक ने उनके घर छोड़ा था। वह अंग्रेजी पढ़ने, लिखने या समझने में असमर्थ थे। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि लोगों ने बिना किसी कारण के अभियुक्त को गिरफ्तार करने का विरोध किया था। कहने की जरूरत नहीं कि पंच साक्षी - प्र.अभि.सा.-5 (बजरंग बली) ने अभियोजन पक्ष का समर्थन करने का विकल्प नहीं चुना

और अपने बयान (प्र.अभि.सा.-5/भ) से पूरी तरह मुकर गया। पिछले बयान से अलग होने के लिए उसे कोई गुप्त मकसद नहीं बताया गया। साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला।

6. छाया साक्षी के रूप में जुड़े अभि.सा.-4 (देवेंद्र) ने प्री-ट्रैप कार्यवाही में भाग लिया और बयान दिया कि निर्देशानुसार शाम करीब 05.10 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वह और परिवादी अभियुक्त के कमरे में गए। परिवादी ने अभिवादन करने के बाद उससे बातचीत की। वह इस बात से अनजान था कि उक्त बातचीत क्या थी। इसके बाद, अभियुक्त के कहने पर वे बाहर गए और पुलिस स्टेशन के बाहर एक दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पी। उक्त दुकान पर बातचीत के दौरान अभियुक्त ने परिवादी से कहा कि वह दोबारा आए और तब उसने उनसे बातचीत की। इसके बाद परिवादी ने उसे दुकान मालिक को देने के लिए 100/- के साथ खाली बोतलें दीं। जब वह काउंटर पर भुगतान कर रहा था, तो परिवादी और अभियुक्त वापस उसके पास आए। उसने परिवादी को अभियुक्त से यह कहते हुए सुना कि "पैसे रख लो आप" और अभियुक्त ने जवाब दिया कि "अभी नहीं बाद में आना तुम"। इसके बाद, परिवादी ने उससे कहा, "पैसे दे के आओ हम बाहर खड़े हैं"। जब वह भुगतान करने के बाद बाहर आया, तो परिवादी ने उससे कहा कि उसने पैसे दे दिए हैं और उसे संकेत देने का सुझाव दिया। इस पर, उसने ट्रैप पार्टी को संकेत दिया। उसने परिवादी को अभियुक्त को पैसे देते हुए नहीं देखा था। चूंकि इस साक्षी ने अपने पिछले बयान के विरोध में

बयान दिया था, इसलिए उसे विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि पुलिस स्टेशन में उन्हें परिवादी के भतीजे के रूप में पेश किया गया था, जिसे वे पुलिस स्टेशन दिखाने के लिए लाए थे। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि इसके बाद अभियुक्त ने उन्हें पुलिस स्टेशन दिखाया। वह यह स्वीकार करने या अस्वीकार करने में असमर्थ था कि पुलिस स्टेशन के बाहर जाते समय अभियुक्त ने कहा, "थाना तो देख लिया अब जो काम मैंने कहा था वो भी किया के नहीं, पैसे लाए हो?" उन्होंने स्वीकार किया कि परिवादी ने कहा, 'हा साहब जितना आपने कहा था उतने ही लाया हूं अब मेरी बहन का ध्यान रखना'। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि अभियुक्त ने कहा, "अरे अब तो दोस्ती हो गई है पूरा ध्यान रखेंगे, चलो कुछ ठंडा वगेरा पी कर आते हैं तुम्हारा भतीजा भी आया है इसे कुछ पिला दूं"। इसके बाद परिवादी ने कहा, 'ठीक है साहब मुझे कुछ जल्दी है। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया कि जब वे दुकान से बाहर जा रहे थे, तो हरि सिंह यादव ने परिवादी को 'लाओ अब पैसे दे दो' का निर्देश दिया और अपनी उंगलियों से अपनी पैंट की दाहिनी ओर की जेब का मुंह खोला और पैसे जेब के अंदर रखने का संकेत दिया। अभियुक्त से प्रतिपरीक्षा में उसने खुलासा किया कि वह अंग्रेजी नहीं जानता था और अंग्रेजी में बातचीत को समझने में असमर्थ था। उनका सामना उनके बयान (प्र.अभि.सा.-4/भ) से किया गया, जहां 'पैसे रख लो आप, अभी नहीं बाद में आना तुम' का कोई जिक्र नहीं था।

7. छाया साक्षी ने असंगत बयान दिया और यह नहीं बताया कि क्या अभियुक्त ने परिवादी से उसकी मौजूदगी में किसी भी स्तर पर रिश्वत की मांग की थी या परिवादी ने मांग के अनुसार अभियुक्त को पैसे दिए या उसने स्वीकार किए। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि परिवादी ने उसकी मौजूदगी में कोई पैसा नहीं दिया और उसने छापेमारी करने वाली टीम को कोई पूर्व-निर्धारित संकेत नहीं दिया। साक्षी की प्रतिपरीक्षा से अभियुक्त को पैसे की मांग से जोड़ने के लिए कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया। अभियोजन पक्ष ने साक्षी द्वारा किए गए सुधारों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जिसके लिए उसे उसके बयान (प्र.अभि.सा.-4/भ) में सामना कराया गया था।

8. अभि.सा.-1 (हरबंस कौर) जिसके कहने पर उसके भाई अभि.सा.-2 (गुरचरण सिंह) ने अभियुक्त को रंगे हाथों पकड़ने के लिए सीबीआई से संपर्क किया था, खुद शिकायत दर्ज कराने सीबीआई के कार्यालय नहीं गई थी। दिनांक 20.06.1998 को, उसके किरायेदार - दिनेश सदा और पड़ोसी - करमवीर उर्फ कालू के बीच झगड़ा हुआ था जिसमें दिनेश सदा को चोटें आईं थीं। अभि.सा.-1 (हरबंस कौर) ने पुलिस और नियंत्रण कक्ष को घटना के बारे में सूचित किया और दिनेश सदा को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। अभि.सा.-1 (हरबंस कौर) ने अपने बयान में खुलासा किया कि उस मामले में पुलिस थाना महरौली के पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। दिनांक 22.06.1998 को, उसने अपने भाई - गुरचरण सिंह को फोन किया और उसे करमवीर उर्फ

कालू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए पुलिस थाना महरौली के पुलिस अधिकारियों के बारे में सूचित किया। इसके बाद वह, उसका भाई और दिनेश सदा रात करीब आठ बजे थाने गये। पूछताछ करने पर पता चला कि मामला उप-नि. हरि सिंह यादव को सौंपा गया था। उन्होंने बताया कि काफी समझाने के बाद हरि सिंह यादव ने रात 8.40 बजे प्राथमिकी सं. 345/98 भा.दं.सं. की धारा 324/34 दर्ज करने पर सहमति जताई। अभियुक्त द्वारा अभि.सा.-1 (हरबंस कौर) या घायलों से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अवैध रिश्वत की मांग करने का कोई आरोप नहीं है। अभि.सा.-1 (हरबंस कौर) और उसके भाई – गुरचरण सिंह के पास उप-नि. हरि सिंह यादव को उक्त घटना के लिए मामला दर्ज करने के लिए मनाने का कोई काम नहीं था। दिनेश सदा, पीड़ित, जिससे पूछताछ नहीं की गई है, ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी। वैसे भी, परिवादी और उसकी बहन ने दिनांक 22.06.1998 तक उप-नि. हरि सिंह यादव के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी। अपने बयान में, अभि.सा.-1 (हरबंस कौर) ने यह खुलासा नहीं किया कि दिनांक 22.06.1998 के बाद अभियुक्त द्वारा कब और कहां रिश्वत की मांग की गई थी। उसने केवल इतना कहा कि दिनांक 23.06.1998 के बाद से, अभियुक्त ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और 5,000/- रुपये की मांग की और मांग पूरी न होने पर उसके पति और बेटे रविंदर सिंह को किसी झूठे मामले में गिरफ्तार करने या उनका भविष्य खराब करने की धमकी दी। उसने आगे यह भी साक्षी दी कि हरि सिंह यादव हर रोज़ रिश्वत के लिए उसके पास बार-बार

आता रहता था। हालांकि, उसने यह नहीं बताया कि उससे रिश्वत मांगने का मकसद क्या था, जबकि उसने (उप-नि. हरि सिंह यादव) पहले ही प्राथमिकी सं. 345/98 के तहत भा.दं.सं. की धारा 324/34 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। उसने दिनांक 23.06.1998 या उसके तुरंत बाद उसके या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया था। उसने स्वीकार किया कि उसने ऐसी मांग के लिए थानाध्यक्ष/अपर थानाध्यक्ष या किसी अन्य अधिकारी से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि वह दिनांक 23.06.1998 को और उसके बाद भी पुलिस स्टेशन गई थी। हालांकि, अभियुक्त के खिलाफ़ कभी भी उत्पीड़न या रिश्वत की माँग के लिए लिखित में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। दिनांक 12.07.1998 को, हरबंस कौर को दिनांक 14.07.1998 को श्री प्रवीण दत्त, पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए पुलिस स्टेशन महरौली से एक नोटिस मिला। उसने आरोप लगाया कि हरि सिंह यादव खुद उक्त नोटिस देने उसके घर आए थे। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने कोई साक्ष्य नहीं जुटाया कि नोटिस (प्र.अभि.सा.-7/घक एवं प्र.अभि.सा.-7/घख) उप-नि. हरि सिंह यादव द्वारा दिनांक 12.07.1998 को हरबंस कौर को व्यक्तिगत रूप से दिए गए थे। इसके विपरीत, अभियुक्त ने ब.सा.-1 (कांस्टेबल श्री पाल) से पूछताछ की, जिन्होंने शपथ पर स्पष्ट रूप से कहा कि नोटिस (प्र.अभि.सा.-7/घक एवं प्र.अभि.सा.-7/घख) दिनांक 11.07.1998 को प्रोसेस सर्वर के रूप में उनके द्वारा दिए गए थे। उन्होंने विस्तार से बताया कि पहली बार में हरबंस कौर ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया था

और धमकी दी थी कि वह उप-नि. हरि सिंह यादव को सबक सिखाएगी, जिसने उक्त नोटिस जारी किए थे। अभि.सा.-6 (ए.के.सिंह), टीएलओ ने जांच के दौरान यह सत्यापित नहीं किया कि दिनांक 14.07.1998 को उपस्थित होने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 107/150 के तहत उक्त नोटिस किसने दिए थे। उन्होंने नोटिसों की तामील के संबंध में पुलिस स्टेशन के प्रोसेस सर्वर का बयान दर्ज नहीं किया और संबंधित वी-बी रजिस्टर में प्रविष्टि की प्रति प्राप्त नहीं की। अभि.सा.- हरबंस कौर ने यह आरोप नहीं लगाया कि नोटिसों की डिलीवरी के समय दिनांक 12.07.1998 को उनसे कोई रिश्वत मांगी गई थी। प्रोसेस/नोटिस प्राप्त होने के बाद, उन्होंने दिनांक 13.07.1998 को अपने भाई गुरचरण सिंह को अपने निवास पर बुलाया; दोनों पुलिस स्टेशन महरौली गए और उप-नि. हरि सिंह यादव से मिले। कथित तौर पर अपीलार्थी ने उनसे 5,000/- रुपये मांगे, जिसे बाद में घटाकर 1,500/- कर दिया गया। उसने उनसे कहा कि रिश्वत का भुगतान न करने पर उसे उसके और उसके पति के खिलाफ झूठा कलंदरा दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें शाम तक मांगी गई राशि लाने का निर्देश दिया गया था। फिर से, उक्त मांग के लिए संबंधित थानाध्यक्ष को कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अभि.सा.-1 और उसका भाई पुलिस स्टेशन में हरि सिंह यादव के पास क्यों गए थे, जबकि उसने पहले ही कलंदरा तैयार कर लिया था और अभि.सा.-1 को दिनांक 14.07.1998 को संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी ने उक्त कलंदरा में पीड़िता की सहायता

कैसे की होगी, जो पहले से ही संबंधित न्यायालय के समक्ष 14.07.1998 को लंबित था। काफी अजीब बात है, उसी दिन, अभि.सा.-2 (गुरचरण सिंह) ने एक शिकायत (प्र.अभि.सा.-2/क) लिखी और लगभग 12.00 बजे दोपहर या 01.00 बजे सीबीआई कार्यालय पहुंच गया। शिकायत की सामग्री की पुष्टि किए बिना, एसीबी के प्रभारी एसपी श्री अनिल कुमार के निर्देश पर प्राथमिकी (प्र.अभि.सा. 6/क) दर्ज कर ली गई। अभि.सा.-6 (ए.के.सिंह) ने आरोपों की सच्चाई की जांच किए बिना ही तुरंत जाल बिछाने का निर्णय किया और दिल्ली विद्युत बोर्ड के लाइनमैन अभि.सा.-4 (देवेंद्र) और अभि.सा.-5 (बजरंगबली) नामक पंच गवाहों की व्यवस्था की।

9. अभि.सा.-2 के अनुसार, वह और अभि.सा.-4 (देवेंद्र) शाम करीब 05.15 बजे अभियुक्त के कार्यालय गए। अभिवादन के आदान-प्रदान के बाद, हरि सिंह यादव ने छाया साक्षी के बारे में पूछा, ये तेरे साथ में कौन है? इसके साथ मैं लेकर क्यों आये हो। उन्होंने जवाब दिया, "भतीजा है इसने कभी थाना नहीं देखा, इसके लिए इसको साथ लाया हूं"। इस पर अभियुक्त ने जवाब दिया "चलो मैं इसे थाना दिखाता हूं"। उन्होंने कहा, "ठीक है साहब मुझे जल्दी हैं, थोड़ा जल्दी कर देना"। उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद अभियुक्त देवेंद्र को पुलिस स्टेशन दिखाने के लिए ले गए और वह उनके साथ गया। इसके बाद वे सभी थाने से बाहर चले गए। इसके बाद, अभियुक्त ने कहा, "थाना तो दिखा दिया अब जो काम कहा था पैसे वसूले के नहीं"। इस पर उन्होंने जवाब दिया,

"आपने जो कहा था उतने ही लाया हूं अब मेरी बहन का ध्यान रखना"। इसके बाद, अभियुक्त ने जवाब दिया, अरे अब तो दोस्ती हो गई है आपकी बहन का पूरा ध्यान रखेंगे चलो कुछ ठंडा वगेरा पी कर आते हैं। तुम्हारा भतीजा भी आया है इसे भी कुछ पिला दूं। उन्होंने जवाब दिया "ठीक है साहब थोड़ा जल्दी करना मुझे जल्दी है"। इसके बाद, अभियुक्त उन्हें वर्मा बेकरी में ले गया और तीन कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया, जिसके लिए अभियुक्त ने भुगतान किया। जब वे दुकान के बाहर आए तो अभियुक्तगण ने कहा, "ला अब पैसे दे दो"। इसके बाद अभियुक्त ने अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों से उसकी पैंट की दाहिनी ओर की जेब का मुंह खोला और उसे पैसे जेब में डालने का इशारा किया। इस पर उसने रुपये अभियुक्त की पैंट की दाहिनी तरफ की जेब में रख दिए। इस पर, उसने पैसे अभियुक्त की पैंट की दाहिनी जेब में डाल दिए। परिवादी द्वारा बताए गए इस संस्करण को अभि.सा.-4 (देवेंद्र) और पंच साक्षी अभि.सा.-5 (बजरंग बली) से समर्थन नहीं मिलता है। उन्होंने घटना का अलग-अलग विवरण दिया है जो परिवादी द्वारा बताई गई कहानी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। रिश्वत की मांग किस स्थान पर की गई, इसे लेकर असमंजस की स्थिति है। जाहिर है, इस साक्षी की गवाही के अनुसार, अपीलार्थी ने अभिवादन के आदान-प्रदान के तुरंत बाद उससे रिश्वत देने के लिए नहीं कहा। बल्कि अपीलार्थी छाया साक्षी देवेन्द्र को परिवादी के साथ पुलिस स्टेशन ले गया। जाहिर है, इस साक्षी की गवाही के अनुसार भी, अभिवादन के तुरंत बाद अपीलार्थी ने उससे रिश्वत देने के लिए नहीं कहा। बल्कि अपीलार्थी छाया साक्षी देवेंद्र को परिवादी के साथ

पुलिस स्टेशन ले गया। इसके बजाय वे पुलिस स्टेशन के बाहर गए और वर्मा बेकरी में कोल्ड ड्रिंक का आनंद लिया। कोल्ड ड्रिंक का भुगतान अभियुक्तगण ने किया था। जब वे दुकान से बाहर आए, तो परिवादी से कथित तौर पर पैसे देने के लिए कहा गया। अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की राशि प्राप्त करने में देरी करने और इसे अपने कमरे में गुप्त रूप से स्वीकार करने के बजाय वर्मा बेकरी की दुकान के बाहर खुले स्थान पर प्राप्त करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं था। जिस स्थान और तरीके से रिश्वत की पेशकश और प्राप्त करने की बात कही गई है, वह अभियोजन पक्ष की कहानी को सामान्य मानवीय आचरण के बिल्कुल विपरीत बनाता है। कोल्ड ड्रिंक के लिए भुगतान किसने किया, इस बारे में विरोधाभासी बयान हैं। अभि.सा.-4 (देवेंद्र) (देवेंद्र) ने खुलासा किया कि उक्त भुगतान परिवादी ने किया था, जिसने 100 और कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें वापस करके भुगतान करने के लिए सौंप दी थीं। प्रतिपरीक्षा में, अभि.सा.-2 (गुरचरण सिंह) ने यह भी स्वीकार किया कि दिनांक 13.07.1998 से पहले, उसने अपनी बहन और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान करने और महरौली पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष या अपर थानाध्यक्ष या किसी वरिष्ठ अधिकारी से रिश्वत मांगने के लिए अभियुक्त के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। अभि.सा.-6 (निरीक्षक ए.के. सिंह) ने परिवादी के इस कथन की पुष्टि नहीं की कि वह अपनी कार से पुलिस स्टेशन गया था और प्रतिपरीक्षा में दावा किया कि वे सरकारी वाहन में ही सीबीआई कार्यालय से निकले थे।

10. अभि.सा.-1 (हरबंस कौर) ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि वह अपने भाई गुरचरण सिंह के खिलाफ दर्ज एक पुलिस मामले के बारे में जानती थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके और उसके बेटे रविंदर सिंह के खिलाफ दं.प्र.सं. की धारा 107/151 के तहत एक कलंदरा लंबित है। उसने अपने पति महिंदर सिंह के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 506 के तहत मामला दर्ज करवाया। उसने आगे स्वीकार किया कि वह भा.दं.सं. की धारा 324/307 के तहत एक आपराधिक मामले में शामिल थी। उसने अपनी अज्ञानता व्यक्त की कि उसके और उसके बेटे के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 324 पुलिस थाना महरौली के तहत प्राथमिकी सं. 127/2000 दर्ज है। उसने स्वीकार किया कि वर्ष 1999 की दं.प्र.सं. की धारा 107/150 के तहत एक कलंदरा उसके और उसके बेटे और दूसरे पक्ष के खिलाफ विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट श्री परवीन दत्त की न्यायालय में लंबित था। निस्संदेह, उसे दिनांक 13.07.1998 से आज तक की अवधि के दौरान कई बार पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उक्त यात्राओं के दौरान पुलिस ने उन्हें आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने या लोगों को धमकाने से रोकने के लिए चेतावनी दी थी। उसने स्वीकार किया कि उसके खिलाफ दर्ज कलंदरा का निर्णय पंजीकरण की तारीख के लगभग 11 महीने बाद हुआ था। उसने स्वीकार किया कि दूसरे पक्ष यानी कालू और अन्य के खिलाफ भी इसी तरह का कलंदरा दर्ज किया गया था और उन्हें एक साथ विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की न्यायालय में आगे बढ़ाया गया था। अभि.सा.-2 (गुरचरण सिंह) ने भी उसके खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 307

पुलिस थाना बदरपुर के तहत एक आपराधिक मामले के लंबित होने की बात स्वीकार की। उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि इसे भा.दं.सं. की धारा 308 के तहत परिवर्तित कर दिया गया था और समझौता किया गया था। अभि.सा.-6, जांच अधिकारी ने इन सभी तथ्यों की जांच नहीं की। उन्होंने यह सत्यापित नहीं किया कि थानाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित कलंदरा दिनांक 26.06.1998 को उप.जि.अधि. की न्यायालय में रखा गया था या नहीं। अपीलार्थी ने जून/जुलाई 1996 में ब.सा.-4 (निरीक्षक जगदीश प्रसाद), अपर थानाध्यक्ष पुलिस थाना महरौली की जांच की, ब.सा.-5 (सहा.उप.नि. सुरेन्द्र कुमार) ने भी इसी तरह की गवाही दी। जाहिर है, अभि.सा.-1 और अभि.सा.-2 अक्सर पुलिस स्टेशन आते थे और पुलिस अधिकारियों को उनके पिछले रिकॉर्ड और कुछ मामलों में उनकी संलिप्तता के बारे में पता था। वर्ष 1999 में दं.प्र.सं. की धारा 107/150 के तहत कलंदरा भी कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके और उसके बेटे के खिलाफ जारी किया गया था। रिश्वत की मांग के बारे में उनके द्वारा दिनांक 13.07.1998 से पहले किसी भी संबंधित अधिकारी के समक्ष कभी भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। अपीलार्थी के पास दिनांक 13.07.1998 को परिवादी या उसकी बहन से रिश्वत मांगने का कोई मकसद या कारण नहीं था क्योंकि उसने पहले ही हरबंस कौर और उसके बेटे को दं.प्र.सं. की धारा 107/150 के तहत कलंदरा में फंसा दिया था जो दिनांक 14.07.1998 को संबंधित उप.जि.अधि. के समक्ष लंबित था। उक्त कलंदरा अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.06.1998 को संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा न्यायालय में अग्रेषित किए जाने के

पश्चात पहले ही जारी किया जा चुका था। संबंधित उप.जि.अधि. द्वारा जारी किया गया नोटिस दिनांक 12.07.1998 को उपस्थिति के लिए पहले ही वितरित किया जा चुका था। इस परिदृश्य में, वह किसी भी तरह से उक्त कलंदरा में हरबंस कौर की सहायता नहीं कर सकता था। इस प्रकार, परिवादी और उसकी बहन के लिए अपीलार्थी को 5,000/- रुपये की रिश्वत देने का कोई अवसर नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि कलंदरा में कार्यवाही शुरू करने से परिवादी को अपीलार्थी को फंसाने के लिए जाल बिछाने के लिए उचित विचार-विमर्श के बाद सी.बी.आई. से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया, जिसके साथ उनका पहले से परिचय था। परिवादी के मन में अपीलार्थी के प्रति द्वेष था और रिपोर्ट दर्ज कराने का उसका उद्देश्य था। अपीलार्थी को सीबीआई ने दिनांक 13.07.1998 को पकड़ा और उसकी जेब से भ्रष्ट धन बरामद की गई। परिस्थितियों और तथ्यों से पता चलता है कि परिवादी का अपीलार्थी के साथ पूर्व परिचय था तथा वह अपनी बहन के पक्ष में या उसके विरुद्ध दर्ज मामलों के संबंध में अपीलार्थी से मिलती रहती थी। बेशक, वह दिनांक 20.06.1998 को मामला दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे, जब दिनेश सदा और करमवीर उर्फ कालू के बीच झगड़ा हुआ था। अपीलार्थी ने बिना कोई पक्षपात या विचार किए करमवीर उर्फ कालू के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। निस्संदेह दिनांक 13.07.1998 को परिवादी अभि.सा.-4 (देवेंद्र) के साथ पुलिस स्टेशन गए थे। छाया साक्षी अभि.सा.-देवेंद्र ने भी परिवादी के बयान की इस हद तक पुष्टि की है कि अपीलार्थी ने न केवल उन्हें गुरचरण सिंह के साथ पुलिस स्टेशन दिखाया बल्कि

वर्मा बेकरी में उनका मनोरंजन भी किया, जहां उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन किया। वह परिवादी की बहन के खिलाफ दं.प्र.सं. की धारा 107/150 के तहत कलंदरा लगाए जाने के बारे में जानता था। उसके पास परिवादी के साथ घनिष्ठ संबंध/संबंध होने का कोई वैध और ठोस स्पष्टीकरण नहीं था और उन्हें और उनके सहयोगी/साथी को कार्यालय समय के दौरान पुलिस स्टेशन दिखाने और उन्हें ठंडा पेय पिलाने तक का मनोरंजन किया। यह अवांछनीय आचरण उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों के विपरीत था और ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी के लिए अनुचित था।

11. हालांकि, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में असमर्थ रहा कि अपीलार्थी ने अपने पदीय कार्यों के निर्वहन में कोई आधिकारिक कार्य करने या न करने के लिए प्रेरणा या इनाम के रूप में किसी विशेष तिथि को रिश्वत की मांग की थी।

12. पंच साक्षी और छाया साक्षी अभि.सा.-4 (देवेंद्र) सहित टीएलओ के सुसंगत बयान को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के पास अपीलार्थी की जेब से भ्रष्ट धन की बरामदगी पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। रिश्वत की रकम अपीलार्थी ने अपने दाएं या बाएं हाथ से स्वीकार नहीं की थी। उसने इसकी गिनती भी नहीं की थी। टीएलओ ने यह नहीं बताया कि जब अपीलार्थी ने खुद पैसे नहीं लिए थे तो छापे के बाद की कार्यवाही में दाएं और बाएं हाथ की उंगलियों के हाथ धोने की प्रक्रिया क्यों अपनाई गई। इस समय तक

परिवादी के साथ परिचित/घनिष्ठ अपीलार्थी के पास गड़बड़ी पर संदेह करने और परिवादी से सार्वजनिक स्थान पर अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से पैसे का मुंह खोलकर जेब में डालने के लिए कहने का कोई कारण नहीं था। यह अपीलार्थी के इस कथन को विश्वसनीयता प्रदान करता है कि उसे फंसाने के लिए परिवादी ने भ्रष्ट धन उसकी जेब में डाला था। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि परिवादी अपनी बहन हरबंस कौर के खिलाफ दं.प्र.सं. की धारा 107/150 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए उसके खिलाफ रंजिश पाल रहा था। रिश्वत की मांग के किसी भी निश्चित साक्ष्य के अभाव में, असामान्य परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा भ्रष्ट धन स्वीकार करना केवल एक संदेह है जो साक्ष्य का विकल्प नहीं हो सकता। स्थापित कानूनी प्रस्ताव यह है कि केवल धन प्राप्त करना उन परिस्थितियों से अलग है जिसके तहत इसे भुगतान किया गया था, दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक है कि धन मांग पर स्वीकार किया गया था। अवैध परितोषण के रूप में राशि की मांग और स्वीकृति अधिनियम के तहत अपराध के गठन के लिए अनिवार्य है।

13. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है। अपील स्वीकार की जाती है। दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है। जमानत बांड और जमानत बांड निरस्त माने जाते हैं। विचारण न्यायालय का रिकॉर्ड तुरंत वापस भेजा जाए।

(एस.पी.गर्ग)
न्यायाधीश

फरवरी 18, 2014/*ट्र.*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*